राजस्थान सरकार (प्रपत्र – 8)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रोहलसाहबसर

–: आदेश :–

[illegible] दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रोहलसाहबसर व भू.अ.नि. दांदूसा की रिपोर्ट तथा [illegible]–शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के [illegible] कल्याणपुरा तहसील **रामगढ़–शेखावाटी** व जिला **सीकर** की जमाबन्दी [illegible]77 में खाता संख्या 55 (नया) 32 (पुराना) में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को [illegible] शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
कल्याणपुरा रहन (रहन) व अन्य प्रविष्टि यथावत	55 नया 32 पुराना	आशाराम पुत्र सुरजा गोपाल पुत्र नारायणराम बुद्धाराम पुत्र नाराणाराम हरिराम पुत्र नाराणाराम समस्त जाति चमार	आशाराम पुत्र सुरजा गोपाल पुत्र नारायणराम बुद्धाराम पुत्र नाराणाराम हरिराम पुत्र नाराणाराम समस्त जाति मेघवाल हुकुमत

( )

पीठससीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत रोहलसाहबसर

[illegible]/7
[illegible]5.18

[illegible] रामगढ़–**शेखावाटी** को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना [illegible] मेघवाल कल्याणपुरा [illegible] आशाराम पुत्र सुरजा को सूचनार्थ [illegible]

( )

पीठससीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)
ग्राम पंचायत रोहलसाहबसर

प्रस्तुत किया